भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 34

21.07.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव

34. श्री शफी परम्बिल :
श्री एम. के. राघवन :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :
श्री वी. के. श्रीकंदन :
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :
श्री एंटो एन्टोनी :
एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मानव-पशु संघर्ष/जंगली जानवरों के हमलों के गंभीर मुद्दे से अवगत है और यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में घायल/मृत लोगों और कृषिगत नुकसान का ब्यौरा और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव वार्डन पद तक के अधिकारियों को मानव-जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को मारने का आदेश देने का अधिकार होने के बावजूद उक्त प्रावधानों का उपयोग मानव सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) केरल में विगत पाँच वर्षों के दौरान मानव-जीवन के लिए खतरा बनने वाले मार दिए गए जंगली जानवरों अथवा घने जंगल में ले जाए गए जंगली जानवरों की संख्या कितनी है,

(घ) सरकार द्वारा ऐसे जंगली जानवरों का मारा जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है;

(च) सरकार द्वारा जंगली सुअरों को हानिकारक जंतु घोषित करने की भविष्य की योजना क्या है; और

(छ) क्या सरकार का इस स्थिति की गंभीरता की समीक्षा करने और मानव-पशु संघर्ष के समाधान के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने हेतु राज्य वन मंत्रियों की बैठक बुलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) केरल राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होने की सूचना मिली हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत पांच वर्षों में बाघों और हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मौतों का ब्यौरा अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष

के पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों में अलग-अलग होता है। तथापि, इस मंत्रालय ने वर्ष 2023 से केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्य पशुओं के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने के मामले में अनुग्रह राशि संबंधी मानदंडों के स्तर को बढ़ा दिया है, जो नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	**वन्य पशुओं द्वारा की गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रूपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रूपए
iii..	मामूली चोट	उपचार की लागत प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक
iv.	संपत्ति/फसलों की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का अनुपालन करेंगे

(ख) से (घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुख्य वन्य जीव वार्डन, वन्य जीव वार्डन और मानद वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के तहत मुख्य वन्य जीव वार्डन को अनुसूची I में सूचीबद्ध प्रजातियों के साथ होने वाली मानव-वन्य जीव संघर्ष की स्थितियों के प्रबंधन की शक्ति प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम की अनुसूची II में सूचीबद्ध वन्य पशुओं के मानव जीवन या संपत्ति (खड़ी फसलों सहित) के लिए खतरनाक हो जाने पर मुख्य वन्य जीव वार्डन या किसी प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे वन्य पशुओं या पशुओं के समूह के शिकार की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अनुसरण में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देशों सहित समग्र परामर्शिकाएं और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों के अधिदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों और उनके भौगोलिक विस्तार की निगरानी करना, तथा उन क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने और रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागों का मार्गदर्शन करना शामिल है।

(ङ), (च) और (छ) इस मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से अपने राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस मंत्रालय ने उक्त मामले की जाँच की है। वर्तमान में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 11(1)(ख) के तहत किए गए प्रावधानों से उक्त अधिनियम की अनुसूची II में सूचीबद्ध वन्य पशुओं की संख्या के स्थल विशिष्ट प्रबंधन का प्रयोजन पूरा होने के साथ-साथ ऐसी प्रजातियों को हिंसक-जंतु के रूप में प्रजातिगत घोषणा के फलस्वरूप बेहतर पारिप्रणाली का रखरखाव होता है।

*****

अनुलग्नक-I

"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

गत पांच वर्षों के दौरान बाघों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	असम	0	0	0	0	4
2	बिहार	1	4	9	1	2
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	3	0
4	कर्नाटक	0	1	1	8	2
5	केरल	2	1	1	1	1
6	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6
7	महाराष्ट्र	25	32	82	37	42
8	तमिलनाडु	1	3	0	1	0
9	तेलंगाना	2	0	0	0	1
10	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10
11	उत्तराखंड	0	1	3	0	5
12	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1
	कुल	**51**	**60**	**111**	**86**	**74**

अनुलग्नक-II

"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

गत पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ़	77	42	64	69	51
5	झारखण्ड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	12	20	35	27	22
8	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नागालैंड	0	0	0	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	9	13	12	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
	कुल	**595**	**479**	**571**	**610**	**628**